निजी औद्योगिक पार्क में रिसर्च सेंटर

औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में प्रदेश सरकार ने रियायतों का पिटारा खोल दिया है। इनको स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ इकाइयों को एक साथ लाना नहीं है, बल्कि उत्पादों का ग्राहकों की मांग के अनुरूप विकास करना भी है। नए उत्पादों और तकनीक के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। इकाइयों की मांग के मुताबिक युवा तैयार करने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित होंगे। इस नीति को निजी सेक्टर ने हाथोंहाथ लिया है। कम से कम 20 निजी औद्योगिक पार्क प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित हो रहे हैं।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निजी औद्योगिक पार्कों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की गई थी। इसके तहत निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए सरकार 70 से 130 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रही है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर 100 फीसदी स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जा रही है। नीति के

मुताबिक एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसाइटी और प्रोपरायटरी से ही निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकते हैं।

औद्योगिक पार्क डेवलप करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जमीन अधिग्रहण के बाद स्टांप ड्यूटी का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनके पास यूनीक आईडी होगी। ये आईडी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के बाद जारी की जाएगी। यूपीसीडा यूनीक आईडी का सत्यापन करेगा। फिर आवेदक स्टांप व निबंधन विभाग को छूट के बराबर बैंक गारंटी पेश करेगा, तब स्टांप में छूट दी जाएगी। स्टांप में छूट की राशि तब मिलेगी, जब जमीन में औद्योगिक पार्क विकसित हो जाएगा और यूपीसीडा प्रमाणपत्र दे देगा। औद्योगिक पार्क विकसित होने के पांच वर्ष बाद तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी।

100 एकड़ पार्क हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस

आरओबी, पुल, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, चारदिवारी, वर्षा जल निकासी सिस्टम, जल संचयन और जल वितरण नेटवर्क, एफ्युलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग व ट्रक पार्किंग के लिए अलग जगह, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन आदि सुविधाएं देना होंगी। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, अस्पताल, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, बैंक, प्रशासनिक ऑफिस, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, रिसर्च सेंटर, उत्पाद विकास केंद्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और वाहन सर्विस सेंटर के लिए सरकार राशि देगी। ये नीति पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ वर्ष 2027 तक मिलेगा।